P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-I* ISSUE-IX* December- 2016
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

बालश्रमिकों, बालअपराधियों का सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन (जिला–बिलासपुर के रेलवे प्लेटफार्म के विशेष संदर्भ में)

व्रिन्दा सेन गुप्ता
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
टी0 सी0 एल0 पी0 जी0 कालेज,
जांजगीर, छत्तीसगढ़

एस के अग्रवाल
प्राचार्य,
समाजशास्त्र विभाग,
टी0 सी0 एल0 पी0 जी0 कालेज,
जांजगीर, छत्तीसगढ़

सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र बालश्रम एवं बाल अपराध के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एवं उन्मूलन के प्रयासों पर आधारित है। प्रत्येक बालक का यह मौलिक अधिकार है कि सामाजिक एवं मानसिक विकास हेतु उत्तम सुविधाएँ दें बच्चों की शिक्षा की उपेक्षा करके उनसे ऐसा काम करवाया जाये जो उनके लिए जोखिम बन जाये एवं उनके द्वारा जाने या अनजाने मे अपराधिक कृत्य किया जाना। उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाले, तो यह बालश्रम है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन 1988 के अनुसार खेल की अवस्था में बच्चों से वयस्कों जैसे कार्य करवाना कम मजदूरी के लिए लंबे समय तक ऐसे कार्य कराना जिनसे शारीरिक मानसिक क्षति पहुँचे एवं बाल अपराध के अंतर्गत वे अपराध आते है जो एक निश्चित आयु समूह के भीतर के बालकों या किशोरों द्वारा किसी विधि कानून का उल्लंघन करने पर पारित होते है। यह अपराध गंभीर किस्म का भी हो सकता है। हमारे यहां बाल अपराधियों को बाल सुधार गृह भेजा जाता है न कि कारागार।

बालश्रमिकों के कार्य की प्रस्तुति संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में होती है एवं बाल अपराधियों द्वारा किये जाने वाले अपराधिक कृत्य इस प्रकार हैं। जैसे–घर से भाग जाना, आवारापन करना, दूसरों को चोट पहुंचाना, गलत लोगों की संगति, स्कूल से भाग जाना, बिना कारण घर से अनुपस्थित रहना, अनैतिक आचरण मे संलग्न रहना। असामाजिक आचरण करना, जुआ घरो एवं वैश्यालयों में जाना, बस अड्डो व रेलवे स्टेशनों बिना किसी उद्देश्य से घूमना, नशीली पदार्थों बिक्री करने वाले स्थानों पर घूमना, खतरनाक व्यवसायों या कामों में संलग्न होना, तम्बाकू, सिगरेट आदि का प्रयोग करना, अपराधिक योजनायें बनाना, शराब का सेवन करना, पार्को एवं फुटपाथों में रात गुजारना, नशे की हालत में गाड़ी चलाना, अनैतिक यौनाचर में संलग्न रहना। लघु शोध परियोजनाओं का उद्देश्य बालश्रम एवं बाल अपराधियों के सामाजिक आर्थिक दशाओं का अध्ययन करते हुए उनके उन्मूलन का प्रयास कर उसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना। उन कारणों की खोज करना जिनके कारण बालकों को श्रम करना एवं अपराधिक कृत्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष अधिकांशतः बालश्रम एवं बाल अपराधी बनने का कारण मुख्यतः परिवार की गरीबी, जनसंख्या की अधिकता, अशिक्षा, बेरोजगारी, ऋण की भरपाई, प्राकृतिक आपदा, पलायन एवं अन्य कारणो से बच्चे श्रम से जुड़े है । जिनका निदान राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द : बालकानून, बंधुआ मजदूरी, बालश्रम, अशिक्षा, बालअपराध, गरीबी।

प्रस्तावना

मानवता एक ईश्वरीय गुण है जो प्रत्येक मानव में होना आवश्यक नहीं कि "मानवता का प्रयोग संपन्न व्यक्ति ही करते है, अपितु किसी भी सामान्य व्यक्ति का अप्रेक्षित गुण है।"संविधान मे शोषण के विरूद्ध अधिकार" (अनु, 23/24 में वर्णित) हमारे समाज में अन्याय का मुकाबला किया जाता रहा है, तथा शोषण व अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं है अनुच्छेद, 23 एवं 24 इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। अनुच्छेद 23 का मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिये जाने वाले श्रम को प्रतिबद्ध करता है। यह अनुच्छेद उक्त उपबन्ध के किसी उल्लंघन को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है अनुच्छेद–24 को बालक को संकटपूर्ण नियोजन में लगाने का प्रतिशेष– (अनुच्छेद 24) 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या किसी

अन्य जोखिम भरे कार्यों का प्रतिशोध करता है, इस अनुच्छेद का उद्देश्य कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। वस्तुतः बच्चे देश के भावी नागरिक है।

"बच्चों से तात्पर्य उस बच्चें से है जिसने अपने आयु का 14 वर्ष पूरा नहीं किया है।"

अध्ययन की प्रकृति

व्यक्ति और समाज का अटूट संबंध है इनमें किसी एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। इलियट तथा मैरिल ने इसीलिए कहा है कि व्यक्ति अत्यंत विशाल समाज का एक सूक्ष्म रूप है समाज और एकांकी व्यवस्था नहीं है प्रत्येक समाज में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के तत्व विद्यमान रहते हैं इसमें अच्छे तत्व समाज को संगठित करते है। वही बुरे तत्व समाज को विघटन की ओर ले जाता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक संगठन को दृष्टि में रखते हुए व्यक्तियों को दो वर्गों में सामाजिक और समाज विरोधी रखा जा सकता है। यही समाज विरोधी तत्व जब सामाजिक संरचना और उसकी व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हैं तब अपराध और श्रम का जन्म होता है। सामाजिक संरचना में समाज की विभिन्न संस्थाओं में पारस्परिक संबंधियों, सामाजिक स्थिति और कार्यों की एक निश्चित व्यवस्था रहती है जब इस व्यवस्था के विपरीत कार्य होता है तब उसे हम सामाजिक विघटन कहते है, ए,के,कोहेन।

मनोवैज्ञानिक तत्व

मनोवैज्ञानिक बालअपराध और अपराध को व्यक्तिगत मानते हुए अनेक तत्वों का वर्णन करते है मनोवैज्ञानिक कारक भौतिक दशाओं के साथ मिले होते है। स्वास्थ्य की स्थिति और शारीरिक अपंगता व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक क्रियाओं को प्रभावित करती है और मन की उलझन व्यक्ति के भौतिक क्रियाकलापों को बिगाड़ देता है। व्यक्ति के सोंचने, महसूस करने और कार्य करने की प्रक्रिया इनसे प्रभावित होती है और व्यक्ति इस तरह असामान्य कार्य कर बैठता है। इस तरह यह मनोवैज्ञानिक तत्व बाल अपराधियों में मानसिक दोष उत्पन्न कर देता है। मनोवैज्ञानिक यह भी मानते है कि बाल अपराधियों का संबंध मानसिक रूप से कम विकास या अधिक विकास, भावनात्मक अनियंत्रण मानसिक दोष आदि से भी है।

1. बालक से तात्पर्य उस अवस्था या आयु से है जिसके तहत् बालक को उसके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए संरक्षण आवश्यक है, जब तक कि वह स्वतंत्र रूप से वयस्क के समरूप न हो जाए।
2. पीपुल्स युनियन फॉर डेमोक्रेटिक राईट्स बनाम भारत राज्य, ए,आई,आर 1982, सु, को 1473।

सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा

बालश्रम बालअपराध पर पूर्व में जो अध्ययन हुए है उनमें निम्नलिखित उल्लेख है।

कोठारी स्मृति 1983 बालश्रमिकों, बालअपराधियों के कार्य करने का वातावरण सामान्यतः डरावना, संकरा, जर्जर छत तथा वास्तविक रूप में खतरनाक परिस्थियों के साथ घुटन भरा होता है।

बुर्रा, नीरा 1986 ने अपने शोधों के माध्यम से बताया है कि बाल मजदूरी की व्यापकता अशिक्षा है ।

टैरथब जी, अशोक 1987 ने अपने शोधों में पाया है कि बालश्रमिकों के घरेलू उद्योग के उत्पादन लागत को कम करने हेतु और प्रतिस्पर्धा मूल्य बनाने और परिवार के आय बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

परिकल्पना

1. प्रायः बालश्रमिकों, बालअपराधियों के सामाजिक स्तर निम्न होते हैं।
2. आर्थिक स्थिति भी दयनीय होती है।
3. प्रायः अशिक्षित होते है।
4. प्रायः अभावग्रस्त होते है।

उददेश्य

1. बालश्रमिकों की समस्या का निदान करना।
2. बालश्रमिकों एवं बाल अपराधियों को शिक्षित कर उन्हें रोजगार के लिए जागरूक करना।
3. उनके आर्थिक समस्या का निदान कर उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ना।

बालश्रम, अपचार कोई अलग–अलग समस्या नहीं है। इससे वर्तमान सामाजिक समस्याओं की पृष्ठभूमि में ही समझा जा सकता है। विगत काल से हो रहे अनेकानेक सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है आज के समाज के सामाजिक समस्याओं की जड़े भूतकाल से है और जिनका वर्तमान और भावी स्वरूप उसका परिणाम है। किसी भी समस्या का गहन अध्ययन किये बिना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझे और उस समस्या के मौलिक कारको को जाने बगैर नहीं किया जा सकता है। समस्या के परिस्थितियो का ज्ञान भी आवश्यक है और तभी उसके उपचार की दिशा में सोंचा जा सकता है। इस तरह किसी समस्या के उपचार के ज्ञान के लिए संबंधित सामाजिक ब्यवस्था का गहन अध्ययन आवश्यक होता है सामाजिक समस्याओं में संस्कृति की निरंतरता और वर्तमान समाज में हो रहे लगातार परिवर्तन दोनों का प्रभाव पड़ता है। यदि सामाजिक व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों की गति धीमी हो और इन परिवर्तनों का समाज के प्रत्येक अंग के विकास में बराबर का प्रभाव पड़ता है तब इन दशाओं में सामाजिक विघटन का प्रभाव बहुत कम परिलक्षित होता है वास्तव में समस्याओं का जन्म मुख्य रूप से तेज या असामान्य परिवर्तनों से होता है, जिनसे समय के बदलते हुए परिवेश में पर्याप्त सामाजिक सामंजस्य नहीं रह पाता और उनसे उत्पन्न होने वाले कारणों पर नियंत्रण नहीं हो पाता है।

भारतीय दंड संहिता एवं अधिनियम के अंतर्गत

वर्ष		बल अपचारी	योग	बालिकाओ का प्रतिशत
		बाल अपराध / कुल अपराध		
1981	181888	8679	190567	4.6
1982	157664	10673	168337	6.3
1983	160543	11101	171614	6.5
1984	149755	12505	162260	7.7
1985	157107	11392	168499	6.8
1986	159977	10172	170149	6.0
1987	166407	13555	179962	7.5
1988	33065	5103	38168	13.4
1989	24777	11615	36392	31.9
1990	25269	5547	30816	18.0
1991	23201	6390	29591	21.6
1992	17474	3884	21358	18.2
1993	16391	3676	20067	18.3

उरोक्त तालिका एवं ग्राफ से निम्न तथ्य प्रकट होते है–

1. बाल अपचारियों में बालिकाओं का प्रतिशत 1989 में सर्वाधिक है 31,9 प्रतिशत पाया गया है
2. बाल अपचारियों की संख्या में उतार चढ़ाव रहा है। इस अवधि की सर्वाधिक संख्या 1981 में 190567 पायी गयी है।
3. 1981 से 1987 के बीच बाल अपराधियों की न्यूनतम संख्या 1984 में 162260 और 1988,1990 के बीच 1990 में 30816 पायी गई है।
4. 1989 से 1993 कि बीच बाल अपचारियों की न्यूनतम संख्या 1993 में 20067 (16391 बालक एवं 3676 बालिकायें) पायी गयी है।

सुझाव

बालश्रमिकों को फ्री में शिक्षा दी जानी चाहिए।

1. माता पिता के रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए।
2. शासन के द्वारा उनकी शिक्षा, आवास, एवं रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोधपत्र मे बालश्रमिक, बालअपाधियों के समाज शास्त्रीय अध्ययन करने से पाया गया कि प्रायः बालश्रमिक बालअपराध अशिक्षित होते है एवं उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होती है। पैसे के अभाव में वे अपराधिक कृत्य करने को मजबूर हो जाते है और उनकी दिन चर्चा यहाँ वहाँ घूम कर व्यतीत करते है जिन्हें उनके समस्या को हल कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल आभा– चाइल्ड लेबर ईन ग्लास इंडस्ट्री श्रम मंत्रालय भारत सरकार 1998।
2. आहूजा राम 2006–सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली।
3. बघेल, डी0एम0 अपराधशास्त्र विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली।
4. बादीवाला, मितेरा 1998– भारत मे बालश्रमिक कारण, सरकारी नीति और शिक्षा की भूमिका
5. बुर्रा नीरा– बार्नटू बर्न चाईल्ड लेबर इन इंडिया 1947, आम्सफोर्ड यूनिवसिटी प्रेस।
6. योजना– नवम्बर 1997, अप्रैल 98, दिसम्बर 99, जनवरी 02, मार्च 03, अगस्त 06
7. कुरू क्षेत्र– अप्रैल 2004, अप्रैल 2005, सितम्बर 05, जुलाई 08, फरवरी 09, अप्रैल 13, जुलाई 13,
8. उद्योग व्यापार पत्रिका– अक्टूबर 05, दिसम्बर 09, अप्रैल 10, जनवरी 11, मई 13, जुलाई 13